



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 12,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0-155/2018 धारा- 376(2)N, 506 आईपीसी व 6 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त इंद्रपाल पुत्र पुन्ना निवासी ग्राम नरायच, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹12,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-  
निरी0 राजकुमार  
सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा  
का0 शुभम